

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 130/2016)
 (संस्थित दिनांक :- 28/03/2016)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. सीताराम शर्मा पुत्र बालाराम शर्मा उम्र 41 वर्ष
 02. माताप्रसाद शर्मा पुत्र बालाराम शर्मा उम्र 35 वर्ष
 03. देवेश शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 20 वर्ष
 04. देव प्रसाद शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा उम्र 22 वर्ष
- निवासीगण :- ग्राम जलालपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक : 04/01/2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण सीताराम, माताप्रसाद, देवेश एवं देवप्रसाद पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि उन्होंने दिनांक :- 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी ओमप्रकाश शर्मा के मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, जो कि एक लोकस्थान है, पर फरियादी ओमप्रकाश को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा एवं लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी ओमप्रकाश को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी ओमप्रकाश शर्मा के मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, आरोपीगण द्वारा फरियादी से गाली-गलौच करने, उसकी, आशाराम एवं रामवीर की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा एवं लाठियों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी ओमप्रकाश द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक

:- 24/2016 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। फरियादी ओमप्रकाश, आहतगण आशाराम एवं रामवीर, साक्षीगण हरी एवं बंटी के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण ने दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी ओमप्रकाश शर्मा के मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी ओमप्रकाश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण सीताराम, माताप्रसाद, देवेश एवं देवप्रसाद को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/12/2016 से लगभग एक वर्ष पूर्व की सुबह लगभग 09 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण से उसका खेत में मवेशी चराने पर से मुँहवाद हो गया है और उसी पर से आरोपीगण ने उनकी मारपीट कर दी थी। घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी ओमप्रकाश अ.सा.02 ने आरोपीगण द्वारा दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे उसके मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, उसकी, आशाराम एवं रामवीर की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी ओमप्रकाश अ.सा.02 की न्यायालयीन

अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई, प्रथम सूचना सूचना प्र.पी.05 एवं पुलिस कथन प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आहत आशाराम अ.सा.03 एवं रामवीर अ.सा.04 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण द्वारा दिनांक : 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी ओमप्रकाश शर्मा के मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, फरियादी ओमप्रकाश, उनकी की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण तथा फरियादी/आहतगण के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी ओमप्रकाश अ.सा.02, आहतगण आशाराम अ.सा.03 एवं रामवीर अ.सा.04 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण ने दिनांक :- 25/01/2016 को सुबह लगभग 09:00 बजे फरियादी ओमप्रकाश शर्मा के मकान के पास आम रास्ता स्थित ग्राम जलालपुरा में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी ओमप्रकाश, आशाराम एवं रामवीर की धारदार आयुध कुल्हाड़ी-फरसा से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की।

10. अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण सीताराम, माताप्रसाद, देवेश एवं देवप्रसाद को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद